



13500 - क्या देनदार व्यक्ति के ऊपर दूसरे के खर्च पर हज्ज करना अनिवार्य है ?

प्रश्न

मैं एक देनदार (कर्जदार) आदमी हूँ और मेरे एक धार्मिक भाई ने मुझे यह पेशकश किया है कि मैं उसके साथ हज्ज करूँ और वह खर्च का सहन करेगा, तो क्या मेरे ऊपर हज्ज करना अनिवार्य है ?

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह के लिए योग्य है।

शैख मुहम्मद बिन सालेह अल-उसैमीन रहिमहुल्लाह से यह प्रश्न किया गया तो उन्होंने ने उत्तर दिया :

यदि यह व्यक्ति आपकी ओर से हज्ज का खर्च सहन करना चाहता है तो उसके साथ जाने में आपके लिए कोई हानि नहीं है। तो आपके उसके साथ हज्ज करने में कोई आपत्ति की बात नहीं है किंतु उसके साथ हज्ज करना आपके ऊपर अनिवार्य नहीं है। और हम ने यह कहा है कि अनिवार्य नहीं है इसलिए कि इसके अंदर आपके ऊपर एहसान (उपकार) पाया जाता है, और इस बात का भय और आशंका है कि किसी दिन वह आपका धार्मिक भाई न रह जाए, फिर इसके बाद वह आप पर एहसान जतलाए और कहे : यही मेरा बदला है, मैं ने फलाँ साल तुम्हें हज्ज करवाया था और तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो।